समाहरणालय, सहरसा

(जिला स्थापना शाखा)

E-mail ID :- edc2saharsa@gmail.com

।।–आदेश–।।

श्री रंजन कुमार रंजन, निलंबित राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन अंचल कार्यालय, कहरा, सम्प्रति अंचल कार्यालय, सलखुआ मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गलत एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने रजिस्टर–II के पृष्ठ पर नया सादा कागज बिना किसी सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के लगाने, रजिस्टर–II में ओभर राइटिंग कर जमाबन्दी संख्या बदलने, मरोसी खतियानी जमीन मालीक को कागजी रूप से बेदखल करने का प्रयास करने, अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारी प्रवृति का आरोप प्रथम–द्रष्टया प्रमाणित होने के फलस्वरूप प्रपत्र ''क'' में आरोप गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली –2005 के नियम 14 (x) के अधीन आदेश ज्ञापांक 1022/स्था० दिनांक 26.08.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई जिसमें श्री सच्चिदानंद चौधरी, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, कहरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप पुनः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 159/स्था० दिनांक 07.02.2014 द्वारा मो० युनूस, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्ति किया गया।

जिला लोकायुक्त कोषाग, सहरसा के पत्रांक 213–2/जि0लो0 दिनांक 09.06.2016 द्वारा श्री अनिल राम, पिता– स्व० बालेश्वर राम, साकिन नरियार जिला– सहरसा के परिवाद पत्र की जांच श्री संजय कुमार, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, सहरसा–सह– प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा से करायी गई जिसके आधार पर श्री रंजन कुमार रंजन पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका सदर थाना कांड संख्या 166/2011 है। तत्पश्चात इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1071/स्था० दिनांक 06.09.2016 द्वारा श्री रंजन को निलंबित करते हुए मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर नियुक्त किया गया।

पुनः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 463/स्था० दिनांक 20.04.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के विवेचनोपरांत पुनः विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में माननीय लोकायुक्त महोदय के निदेशानुसार विभागीय कार्यवाही का संचालन नहीं किया गया। फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के कंडिका 18(1)(2) के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1230/स्था0 दिनांक 21.09.2017 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर–सह– संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए शीध्र प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अतः तदनुसार आरोपी कर्मी श्री रंजन के विरूद्ध गठित आरोप पत्र ''प्रपत्र–क'' श्री रंजन द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, संचालन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन की विवेचना निम्नवत की गई है।

आरोप का संख्या 01– श्री अनिल राम के परिवाद पत्र की जॉच पदाधिकारी द्वारा जमाबंदी रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए आपको बारम्बार आदेश दिया गया परन्तु आप आदेश की अनदेखी करते रहे। इस प्रकार आपने उच्चाधिकारी के आदश को अवहलेना कर उदंडता एवं अनुशासनहीनता का परिचय दिया है। आपकी अनुशासनहीनता के कारण जॉच कार्य में अनावश्यक विलम्ब हुआ जिसके लिए आप जवाबदेह है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :– पत्रांक–539, दिनांक–17.06.10 के आदेश के आलोक में दिनांक–02.07.10 को ही मैने संबंधित राजस्व कर्मचारी को हल्का नं0–05 अंचल कहरा को प्रभाव सौंप चुका था। जिला पदाधिकारी के आदेश में वर्त्तमान अंचल सलखुआ में दिनांक–26.06.10 को योगदान कर चुका था एवं प्रभार भी प्राप्त कर चुका था। इसलिए हल्का 05 का जमाबंदी पंजी को प्रस्तुत करने का कोई औचित्य ही नही रह जाती है और न ही उच्चाधिकारी का आदेश का अवहेलना किया गया है और न ही उदंडता एवं अनुशासनहीनता का ही परिचय दिया है। विलम्ब का कारण हल्का नं0–05 के वर्त्तमान कर्मचारी श्री रामचन्द्र यादव है। इस तरह मेरे विरूद्ध लगाये गये आरोप निराधार व सत्य से पड़े है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मन्तव्य :– श्री अनिल राम के परिवाद पत्र की जॉच पदाधिकारी को सूचना मिलने के पश्चतात् पंजी– II उपस्थापित किया गया है। जिसके आधार पर जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख की गयी है।

पूर्व के संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 261–2 दिनांक 07.10.2016 द्वारा आरोपी कर्मी को सूचना का तामिला कराया ही नहीं गया क्योंकि ना ही जॉच पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपने जॉच प्रतिवेदन में लगाया गया और ना ही उपस्थापन पदाधिकारी सह अचंल अधिकारी, कहरा द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया। जिससे यह प्रमाणित हो कि आरोपी कर्मी को दिये गये आदेश/निदेश की जानकारी होने के बावजूद आदेश की अवहेलना की गयी। पुनः तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, सहरसा का पत्रांक 112–2/रा० दिनांक 23.02.2017 जो प्रभारी पदाधिकारी, जिला लोकायुक्त कोषांग सहरसा को आरोप संख्या 01 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा इस आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है, जो सही प्रतीत होता है। फलतः जॉच प्रतिवेदन के आधार पर यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1067–2 दिनांक 09.08.2017 द्वारा आरोप प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा मन्तव्य :– पत्रांक–539, दिनांक–17.06.10 के आलोक में आरोपी कर्मी द्वारा 02.07.10 को हल्का सं0–05 का प्रभार संबंधित राजस्व कर्मचारी को सौंप दिया। इस संदर्भ में श्री संजय कुमार, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, सहरसा के पत्रांक–255–2/विधि दिनांक–02.02.11 द्वारा प्रतिवेदित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी को उनके पत्रांक–1214/2 विधि दिनांक–13.08.10 पत्रांक–1279–2/वि0 दिनांक–20.08.10 पत्रांक–1983–2/वि0 दिनांक 30.11.10 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद रजिस्टर–II विलम्ब से आवेदक के समक्ष दिनांक–15.01.11 को संबंधित जॉच पदाधिकारी को दिखाया गया। स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी द्वारा पूर्व में ही अपना प्रभार दे दिया गया था। अतः आरोप प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है।

अपर समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा विवेचनोंपरांत संचालन पदाधिकारी–सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित मन्तव्य की पुष्टि की गई।

आरोप का संख्या 02– परिवादी श्री अनिल राम पिता स्व0 वालेश्वर राम के परिवाद पत्र में अंकित मौजा नरियार थाना नं0–190, अंचल कहरा, खाता पुराना 94, खेसरा पुराना 1769, 1772, 5042 तथा खाता पुराना 111, खेसरा पुराना 1766, 1767, 1768, 1770, 1771 एवं खाता पु0 112, खेसरा पु0 1763, 1764 एवं 1765 का भौतिक सत्यापन जॉच पदाधिकारी द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन एवं स्थलीय जॉच से प्रश्नगत जमीन परिवादी का मरौसी जमीन है लेकिन आपने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक को उक्त जमीन किसी अन्य की भूमि एवं इनके नाम जमाबंदी चलने की गलत सूचना उपलब्ध करायी है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :– परिवादी का आरोप निराधार एवं सत्य से परे है, क्योंकि परिवादी का आरोप जमाबंदी पंजी–II में जिस पृष्ट पर उनके जमीन का ब्यौरा था उसे फाड़कर साटा नही गया है। इस संबंध मे स्पष्ट करना चाहता हुँ कि रजिस्टर II हल्का संख्या 05 का प्रभार जिस रूप मे मुझे प्राप्त हुआ उसी रूप में वर्तमान में भी मौजुद हैं। जमाबंदी नं०–02/127, तौजी नं०–3763 थाना नं० 190, मौजा नरियार का रजिस्टर–II का पेज संख्या–32 का कृपया अवलोकन किया जाय। परिवादी के द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के द्वारा उपलब्ध नही कराई गई, उन्हे इनफॉरमेशन स्लिप मे सुचना संचालित की गई है।

प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग के पत्रांक–536–2 दिनांक–15.02.2010 के संदर्भ संख्या –0302100018 के संदर्भ मे सूचना दी गई, जिसका आई०डी०संख्या–35/दिनांक–17.08.2009 है। उक्त सूचना जमाबंदी रजिस्टर एवं टेबूल सर्वे खेसरा पंजी से मिलान कर उपलब्ध कराया गया है। अपनी तरफ से कोई सूचना उपलब्ध परिवादी को नही कराया गया है। श्रीमान् को यह भी विदित हो कि मेरे सेवाकाल या मेरे हस्ताक्षर में रजिस्टर–II या खेसरा पंजी कुछ भी सूचना का दर्ज नहीं कराया गया है। उक्त जमीन किसका है या नहीं है रजिस्टर–II खेसरा पंजी सं0 में अंकित नहीं लिखा है।

पूर्व के संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 261–2 दिनांक 07.10.2016 द्वारा आरोपी कर्मी को सूचना का तामिला कराया ही नहीं गया क्योंकि ना ही जॉच पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपने जॉच प्रतिवेदन में लगाया गया और ना ही उपस्थापन पदाधिकारी सह अचंल अधिकारी, कहरा द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया। जिससे यह प्रमाणित हो कि आरोपी कर्मी को दिये गये आदेश/निदेश की जानकारी होने के बावजूद आदेश की अवहेलना की गयी। पुनः तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, सहरसा का पत्रांक 112–2/रा० दिनांक 23.02.2017 जो प्रभारी पदाधिकारी, जिला लोकायुक्त कोषांग सहरसा को आरोप संख्या 01 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा इस आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है, जो सही प्रतीत होता है। फलतः जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1067–2 दिनांक 09.08.2017 द्वारा आरोप प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा मन्तव्य :– पत्रांक–539, दिनांक–17.06.10 के आलोक में आरोपी कर्मी द्वारा 02.07.10 को हल्का सं0–05 का प्रभार संबंधित राजस्व कर्मचारी को सौंप दिया। इस संदर्भ में श्री संजय कुमार, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, सहरसा के पत्रांक–255–2/विधि दिनांक–02.02.11 द्वारा प्रतिवेदित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी को उनके पत्रांक–1214/2 विधि दिनांक–13.08.10 पत्रांक–1279–2/वि0 दिनांक–20.08.10 पत्रांक–1983–2/वि0 दिनांक 30.11.10 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद रजिस्टर–II विलम्ब से आवेदक के समक्ष दिनांक–15.01.11 को संबंधित जॉच पदाधिकारी को दिखाया गया। स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी द्वारा पूर्व में ही अपना प्रभार दे दिया गया था। अतः आरोप प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है।

अपर समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा विवेचनोंपरांत संचालन पदाधिकारी–सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित मन्तव्य की पुष्टि की गई।

आरोप का संख्या 02– परिवादी श्री अनिल राम पिता स्व0 वालेश्वर राम के परिवाद पत्र में अंकित मौजा नरियार थाना नं0–190, अंचल कहरा, खाता पुराना 94, खेसरा पुराना 1769, 1772, 5042 तथा खाता पुराना 111, खेसरा पुराना 1766, 1767, 1768, 1770, 1771 एवं खाता पु0 112, खेसरा पु0 1763, 1764 एवं 1765 का भौतिक सत्यापन जॉच पदाधिकारी द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन एवं स्थलीय जॉच से प्रश्नगत जमीन परिवादी का मरौसी जमीन है लेकिन आपने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक को उक्त जमीन किसी अन्य की भूमि एवं इनके नाम जमाबंदी चलने की गलत सूचना उपलब्ध करायी है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :– परिवादी का आरोप निराधार एवं सत्य से परे है, क्योंकि परिवादी का आरोप जमाबंदी पंजी–II में जिस पृष्ट पर उनके जमीन का ब्यौरा था उसे फाड़कर साटा नही गया है। इस संबंध मे स्पष्ट करना चाहता हुँ कि रजिस्टर II हल्का संख्या 05 का प्रभार जिस रूप मे मुझे प्राप्त हुआ उसी रूप में वर्तमान में भी मौजुद हैं। जमाबंदी नं०–02/127, तौजी नं०–3763 थाना नं० 190, मौजा नरियार का रजिस्टर–II का पेज संख्या–32 का कृपया अवलोकन किया जाय। परिवादी के द्वारा सूचना का आधिकारी अधिनियम 2005 के द्वारा उपलब्ध नही कराई गई, उन्हे इनफॉरमेशन स्लिप मे सुचना संचालित की गई है।

प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग के पत्रांक–536–2 दिनांक–15.02.2010 के संदर्भ संख्या –0302100018 के संदर्भ मे सूचना दी गई, जिसका आई०डी०संख्या–35/दिनांक–17.08.2009 है। उक्त सूचना जमाबंदी रजिस्टर एवं टेबूल सर्वे खेसरा पंजी से मिलान कर उपलब्ध कराया गया है। अपनी तरफ से कोई सूचना उपलब्ध परिवादी को नही कराया गया है। श्रीमान् को यह भी विदित हो कि मेरे सेवाकाल या मेरे हस्ताक्षर में रजिस्टर–II या खेसरा पंजी कुछ भी सूचना का दर्ज नहीं कराया गया है। उक्त जमीन किसका है या नहीं है रजिस्टर–II खेसरा पंजी सं0 में अंकित नहीं लिखा है।

<u>प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मन्तव्य :–</u> परिवादी श्री अनिल राम, पिता–स्व0 बालेश्वर राम में अंकित मौजा–नरियार, थाना नं0–190, खाता 94, खेसरा पु0 1769, 1772, 5042 तथा खाता पु0 111, खेसरा पु0 1766, 1767, 1768, 1771 एवं खाता 112, खेसरा पु0 1763, 1764 एवं 1765 का भौतिक सत्यापन खेसरा पंजी से किया।

श्री रंजन कुमार रंजन द्वारा इन्फॉरमेशन खेसरा पंजी के अनुसार सही दी गयी है। जिसका जमाबंदी नं0–2/127, तौजी 3763 पंची देवी, पति किशुन प्रसाद सिंह के नाम चलती है। जिसमें सादा पन्ना मूल जमाबंदी समाप्ति के पश्चात् आगे सटा हुआ है जिसपर वर्त्तमान में ब्यौरा अंकित है।

<u>पूर्व के संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :–</u> भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 261–2 दिनांक 07.10.2016 द्वारा जहाँ तक आरोप राजस्व कर्मचारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने की बात है तो उनके द्वारा यह सूचना खेसरा पंजी में जो अंकित है वही सूचना उपलब्ध कराई गई है। पुनः तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, सहरसा का पत्रांक 112–2/रा० दिनांक 23.02.2017 जो प्रभारी पदाधिकारी, जिला लोकायुक्त कोषांग सहरसा को आरोप संख्या 02 के संदर्भ में आरोपी द्वारा खेसरा पंजी में जो विवरणी अंकित है वही सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है। पुनः संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1067–2 दिनांक 09.08.2017 द्वारा आरोप आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होता है।

<u>संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा मन्तव्य :–</u> आरोपी कर्मी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी सूचना हल्का नं0–05, मौजा–नरियार, थाना नं0–190 के जमाबंदी पंजी में दर्ज जमाबंदी सं0–02/127, तौजी नं0–3763 रजिस्टर–II के अनुसार श्रीमति पंची देवी, पति किशुन प्रसाद सिंह के नाम से दर्ज है। परन्तु आरोपी कर्मी के द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना में मधुमति देवी, पति उचित ना0 सिंह के नाम से दर्ज होना उल्लेखिंत किया गया है। चुँकि जमाबंदी पंजी के कस्टोडियन उस हल्का के राजस्व कर्मचारी होते है। अतः इससे संबंधित सूचना उनके द्वारा उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा आवेदक को हस्तगत कराया गया है। अतः आरोप प्रमाणित होता है।

अपर समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा विवेचनोंपरांत संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित मन्तव्य की पुष्टि की गई।

<u>आरोप का संख्या 03–</u> परिवादी का आरोप है कि जमाबंदी रजिस्टर–II में जिस पृष्ट पर उनकी जमीन का ब्यौरा था उसे फाड़कर बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के उसमें साट दिया गया है। जॉच पदाधिकारी द्वारा आरोप को सही पाया गया है। इस प्रकार कागजात के साथ छेड़ छाड़ एवं धोखाधड़ी कर एवं खतियानी रैयत के दखल कब्जा को नजर अंदाज कर उन्हें मरौसी जमीन से बेदखल करने का गैर कानूनी कार्य किया है।

<u>आरोपी का स्पष्टीकरण :–</u> परिवादी का आरोप निराधार एवं गलत है। परिवादी का आरोप जमाबंदी रजिस्ट्रर–II में जिस पृष्ट पर उनके जमीन का ब्यौरा था उसे फाड़कर साटा नहीं गया है। यह सही नही है। इस संबंध में स्पष्ट कहना है कि जमाबंदी रजिस्ट्रर–II हल्का नं0–05 का प्रभार जिस रूप में मुझें प्रभार प्राप्त हुआ उसी रूप में मौजूद है। जमाबंदी नं0–02/127, तौजी नं0–3763, थाना नं0–190, मोजा नरियार रजिस्ट्रर–1769 0–1–17–0 बालेश्वर मोची,

पे0–देवी मोची

1772 0–6–08–0 बालेश्वर मोची,
पे0–देवी मोची

5042...................... खेसरा पंजी में फटा हुआ है।

1766, 0–1–07–0 मधुरमणि कुमारी वगै0
पे0–उचित ना0 सिंह

1767, 0–5–05–0 " "
1766, 0–1–12–0 " "
1771, 0–0–09–0 " "
1763, 0–0–12–0 " "
1764, 0–0–13–0 " "
1765, 0–6–13–0 " "

श्री रंजन कुमार रंजन द्वारा इन्फॉरमेशन खेसरा पंजी के अनुसार सही दी गयी है। जिसका जमाबंदी नं0–2/127, तौजी 3763 पंची देवी, पति किशुन प्रसाद सिंह के नाम चलती है। जिसमें सादा पन्ना मूल जमाबंदी समाप्ति के पश्चात् आगे सटा हुआ है जिसपर वर्त्तमान में ब्यौरा अंकित है। संख्या–32 का कृपया कर अवलोकन किया जाय। उसमें कई दाखिल खारिज का विवरण मरे पदस्थापन में पूर्व में दर्ज है वो मेरे समय 8–3–7 रकवा दर्ज है। जमाबंदी रजिस्ट्रर–II के पृष्ट संख्या 32, जमाबंदी नं0–02/127 के पृष्ट पर दाखिल खारिज केश नं0–1123, 1124, 1125, 1151 वर्ष 2008–09 एवं दाखिल खारिज केश नं0–1952, 2714 वर्ष 2009–10 अचंल अधिकारी, कहरा सहरसा के आदेश के अनुपालन में पृष्ट संख्या–32 में स्थान रिक्त नहीं रहने के कारण लीफ लगाया गया है, जो पृष्ट 32 का ही अंश है एवं जमाबंदी नं0–02/127 का अंश है। इसके उपरान्त पृष्ट संख्या–33, 34 इत्यादि पृष्ट लगातार ही है। इससे पूर्व पृष्ट संख्या–01 से 32 लगातार है तो इसमें फाड़कर साटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बल्कि जॉच एक पक्षीय होने के कारण ऐसा जॉच में आ गया है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि कथन के समर्थन में जमाबंदी पृष्ट संख्या–32 एवं संलग्न लीफ के साथ पृष्ट संख्या–33 की छायाप्रति संलग्न कर रहा हूँ जो पृष्ट से रजिस्ट्रर–II पंजी में पूर्व में चली आ रही है फिर भी मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो कृपया करके माफ किया जाय। वर्त्तमान में भी परिवादी मरौसी जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मन्तव्य :– अंचल अधिकारी के दाखिल खारिज केश नं0–1123, 1124, 1125, 1151/2008–09 एवं 1952, 2714/2009–10 में अंचल अधिकारी के आदेश से जमाबंदी से खारिज की गयी है। जमाबंदी 2/127 पूर्व से कायम था। जो पूर्ण रूपेण भर जाने के कारण सादा पन्ना पर अंकित की गयी है।

पूर्व के संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 261–2 दिनांक 07.10.2016 द्वारा आरोपी कर्मी के विरूद्ध जमाबंदी पंजी का पन्ना फाड़ने एवं सादा पन्ना लगाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। पुनः तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, सहरसा का पत्रांक 112–2/रा० दिनांक 23.02.2017 जो प्रभारी पदाधिकारी, जिला लोकायुक्त कोषांग सहरसा को आरोप संख्या 03 के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि पृष्ट पूर्ण रूप से भर जाने के कारण अलग से सादा पन्ना पर विवरणी अंकित की गयी है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है। पुनः संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1067–2 दिनांक 09.08.2017 द्वारा आरोप प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा मन्तव्य :– आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा एवं अंचल अधिकारी–सह– उपस्थापन पदाधिकारी, कहरा द्वारा समर्पित मंतव्य से स्पष्ट है कि जमाबंदी नं0–3166 में रकवा 08 बीघा 03 कट्ठा 07 धूर दर्ज है। रजिस्टर पंजी–II में जमाबंदी नं0–3166 के जगह ओभर राईटिंग कर 3167 बनाया गया है। मौजा नरियार थाना नं0–190, तौजी नं0–3763 जमाबंदी नं0–02/127 श्रीमति पंची देवी, पति–किशुन प्रसाद सिंह रकवा 08 बीघा 03 कट्ठा 07 धूर जो सादा कागज पर बनाया गया है। वह आरोपी कर्मी के कार्यावधि में ही बनाया गया है। जिसमें किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना जमाबंदी में किसी भी प्रकार का छेड़–छाड राजस्व कर्मचारी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः आरोपी कर्मी पर लगाया गया आरोप सत्य प्रमाणित होता है।

अपर समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा विवेचनोंपरांत संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित मन्तव्य की पुष्टि की गई।

आरोप का संख्या 04– परिवादी के नाम जमाबंदी नं0–3166 मालगुजारी रसीद संख्या–869878 वर्ष 1983–84, दिनांक–04.03.1984 रकवा 08 कट्ठा 13 धूर दर्ज है। आपने मूल रजिस्ट्रर–II में 3166 की जगह ओवर राईटिंग कर 3167 अंकित किया है। इस प्रकार आपने सरकारी कागजात को धोखाधड़ी करने के नियत से छेड़ छाड़ किया है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :– परिवादी का आरोप निराधार एवं गलत है, जमाबंदी रजिस्ट्रर–II में मेरे द्वारा 3166 को ओभर राईटिंग नहीं किया गया है। परिवादी का रसीद वर्ष 1983–84 का है। उस वक्त मेरी नियुक्ति भी नही हुई थी। मेरी नियुक्ति दिनांक–04.11.91 को हुई थी। जमाबंदी रजिस्ट्रर–II हल्का नं0–05 अंचल कहरा का गौर में अवलोकन किया जाय। जमाबंदी संख्या–3161 से 3168 का अवलोकन किया जाय, जमाबंदी संख्या–3161 दो वार चढ़ा हुआ है। 3161 लक्षो दास दाखिल खारिज केश नं0–398 वर्ष–1983–84 का है इसमें ओवर राईटिंग नहीं है। पेज नं0–33 है। पेज नं0–34 जमाबंदी नं0–3161 पुनः लिखा हुआ है। इस प्रकार जमाबंदी नं0–3161 दो वार दर्ज हो जाने पर जमाबंदी नं0–3168 तक हुआ है, जो वर्ष–1983–84 के दाखिल खारिज केश नं0 में हुआ है जो पेज नं0–33 से 40 तक है। दो वार पेज नं0–33, 34 में जमाबंदी नं0–3161 और 3161 का सुधार तत्कालिन पदस्थापित कर्मचारी के द्वारी हीं किया गया है मेरे द्वारा कोई भी ओवर साईटिंग रजिस्ट्रर–II में नहीं किया गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जमाबंदी रजिस्ट्रर–II पृष्ट संख्या–33 से 40 तक की छायाप्रति संलग्न हैं कृपया करके अवलोकन करने की कृपा की जाय।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मन्तव्य :– जमाबंदी नं0–3166 की जगह 3167 ओभर राईट वर्त्तमान में है। जो जमाबंदी नं0–3152 से 3184 तक जमाबंदी ओभर राईट कर सुधार की गयी है। परिवादकर्त्ता अनिल राम, पिता स्व0 बालेश्वर राम, पे0–स्व0 देवी राम के नाम से वर्त्तमान में जमाबंदी नं0–3167 चल रही है। जिसमें वत्रमान रकवा 0–8–13–0 है जिसमें कोई छेड़ छाड़ नहीं की गयी है। जमाबंदी अनुसार 040384 रसीद नं0–869878 एक रसीद मात्र निर्गत है एवं जमाबंदी पंजी– II का पेजिंग सही है।

पूर्व के संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 261–2 दिनांक 07.10.2016 द्वारा उपरोक्त वर्णित लगान रसीद कटी जाने के काल पर विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि ओवर राइटिंग की गई जमाबंदी संख्या की रसीद आरोपी कर्मी के प्रभार ग्रहण के पूर्व एवं प्रभार ग्रहण के पश्चात भी काटी जाती रही जिससे यह प्रतीत होता है कि ओवर राईटिंग जमाबंदी की मान्यता दी जाती रही। ऐसी परिस्थिति में आरोपी कर्मी के विरूद्ध यह आरोप लगाना कि उन्होंने आवेदक श्री अनिल राम के पिता श्री बालेश्वर राम के नाम कायम जमाबंदी संख्या 3166 की जानबुझकर एव गलत मंशा से किया है, सही प्रतीत नहीं होता है। पुनः तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, सहरसा का पत्रांक 112–2/रा० दिनांक 23.02.2017 जो प्रभारी पदाधिकारी, जिला लोकायुक्त कोषांग सहरसा को आरोप संख्या 04 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन है कि ऑभर राईटिंग की गयी जमाबन्दी संख्या की रसीद आरोपी कर्मी के प्रभार ग्रहण से पूर्व एवं प्रभार ग्रहण के पश्चात् भी काटी जाती रही, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त जमाबन्दी की मान्यता दी जाती रही है। इस प्रकार परिवादी के जमाबन्दी संख्या को जान बूझकर गलत मंशा से किया गया सही प्रतीत नहीं होता है, जिससे सहमत हूँ। अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है। पुनः संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1067–2 दिनांक 09.08.2017 द्वारा परिवादी द्वारा आरोपी कर्मी पर लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा मन्तव्य :– परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप के विरूद्ध आरोप कर्मी एवं अंचल अधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, कहरा से प्राप्त मंतव्य से स्पष्ट है कि मौजा नरियार, थाना नं0–190, तौजी नं0–3763, जमाबंदी सं0–3152 से 3184 तक ओभर राईटिंग किया हुआ है। इस जमाबंदी संख्या के बीच जमाबंदी सं0–3166 को भी ओभर राईटिंग कर 3167 किया गया है। जिसे जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–223, दिनांक–31.03.2011 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के पत्रांक–1007–2, दिनांक–05.09.2016 के आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, कहरा द्वारा ज्ञापांक–891, दिनांक–06.09.16 के द्वारा जमाबंदी नं0–3167 जो लेखलेपन कर जमाबंदी नं0–3166 शुद्ध बनाया गया है। अतएव आरोपी कर्मी पर लगाया गया आरोप सत्य प्रतीत होता है।

अपर समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा विवेचनोंपरांत संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित मन्तव्य की पुष्टि की गई।

आरोप का संख्या 05– परिवादी श्री अनिल राम को सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं रजिस्ट्रर–II में दर्ज सूचना जॉचोपरान्त अलग–अलग पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि आपने खतियानी रैयत को बेदखल करने का गैर कानूनी प्रयास किया है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :– श्रीमान् को विदित हो कि परिवादी अनिल राम को मैने कोई अलग–अलग सूचना रजिस्ट्रर–II से भिन्न नहीं दिया हूँ। एक सूचना प्रचलित इनफोरमेशन स्लीप में दिया गया। दूसरा सूचना दिनांक–23.07.2009 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आई0डी0 संख्या–35 दिनांक–17.08.2009 एवं तीसरी सूचना मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं उप समाहर्त्ता, सहरसा एवं जन शिकायत से प्राप्त पत्र के आलोक में सूचना दिया गया है। तीनों सूचना रजिस्ट्रर–II एवं खेसरा पंजी हल्का नं0–05 में उपलब्ध अभिलेख से हुवहु दर्ज किया है। जिस बार जिस ढंग से सूचना मांगी गयी उसी ढंग से दिया गया है। सूचना मांगने के विभिन्न तरीके के कारण सूचना उसी अनुरूप दिया गया। जो अभिलेख से हुबहु दिया गया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं दिया है। इस संबंध में पुनः निवेदन है कि खतियानी रैयत यदि जमीन पर दखलकार है तो उन्होने अपनी खतियानी जमीन केवाला नं0–2522 दिनांक–07.03.1979 एवं केवाला नं0–574 दिनांक–18.04.1971 तथा केवाला नं0–1873 दिनांक–10.07.1978 से खरीद कर दाखिल खारिज कराये है वही जमाबंदी संख्या–3166 से 3167 हुआ है जो वर्ष 1983–84 केश नं0–424/1983–84 में हुआ है।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मन्तव्य :– श्री रंजन कुमार रंजन द्वारा केवाला 2522 दिनांक–07.03.1979 केवाला सं0–574 दिनांक–18.04.1971, केवाला सं0–1873, दिनांक–10.07.1798 एवं दाखिल खारिज केश नं0–424/1983–84 द्वारा दाखिल खारिज होकर जमाबंदी नं0–3166 दर्ज था। जो ओभर राईट होकर 3167 जमाबंदी चल रही है। परिवादकर्त्ता अनिल राम के द्वारा खेसरा सं0–1764, 1765, 1766 की जमीन मेरी है जो श्री राम द्वारा बताते है। दाखिल खारिज केश नं0–180/94–95 बटबारानामा के आधार पर दाखिल खारिज होकर जमाबंदी नं0–4152 बनाम श्री उमाकान्त सिंह वो जमाबंदी चल रही है। जिसके विरूद्ध परिवादकर्त्ता श्री अनिल राम को सक्षम न्यायालय में अपील दायर करना चाहिए।

पूर्व के संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 261–2 दिनांक 07.10.2016 द्वारा निरर्थक एवं आधारहीन प्रतीत होता है। पुनः तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, सहरसा का पत्रांक 112–2/रा० दिनांक 23.02.2017 जो प्रभारी पदाधिकारी, जिला लोकायुक्त कोषांग सहरसा को आरोप संख्या 05 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन सही प्रतीत होता है एवं इसके आधार पर श्री रंजन कुमार रंजन, तात्कालीन राजस्व कर्मचारी, कहरा अंचल सम्प्रति सलखुआ अंचल के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। पुनः संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1067–2 दिनांक 09.08.2017 द्वारा आरोपी कर्मी पर लगाया गया आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होता है।

संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा मन्तव्य :– परिवादकर्त्ता द्वारा लगाया गया आरोप के आलोक में आरोपी कर्मी एवं अंचल अधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, कहरा द्वारा दिये गये मंतव्य से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा मांगी गयी सूचना का आरोपी कर्मी द्वारा मौजा नरियार, थाना नं0–190, जमाबंदी नं0–02/127, तौजी नं0–3763 का शेष रकवा 05 बीघा 17 कट्ठा 09 धूर श्रीमति पंची देवी, पति–किशुन प्रसाद सिंह के नाम से पंजी–II में दर्ज है। जबकि आरोपी कर्मी द्वारा सूचना अधिकार के तहत मौजा नरियार, थाना नं0–190, तौजी नं0–3763 मधुरमति देवी, पे0–उचित ना0 सिंह के नाम से दर्ज है, प्रतिवेदित किया है। आरोपी कर्मी पर लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।

अपर समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा विवेचनोंपरांत संचालन पदाधिकारी –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के ज्ञापांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित मन्तव्य की पुष्टि की गई।

श्री रंजन कुमार रंजन का दिनांक 16.09.2017 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा :–

1. वस्तुतः मेरे द्वारा संदर्भित सूचना आवेदक श्री अनिल राम को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है। क्योंकित मैं न तो लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित था और न ही सहायक लोक सूचना पदाधिकारी नामित नहीं था। फलतः मेरे विरूद्ध प्रतिवेदित यह आरोप गलत हे।
2. निःसंदेह सूचना आवेदक श्री अनिल राम को सूचना पर मेरे द्वारा टेबुल सर्बे खेसरा पंजी के आधार पर अपना जाँच प्रतिवेदन श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय कहरा के समक्ष उपस्थापित मात्र किया था, क्योंकित आवेदक द्वारा खाता नं0, खेसरा नं0 के साथ सूचना की मांग की गई थी, जबकि जमाबंदी पंजी –।। में खाता नं0 एवं खेसरा नं0 अंकित नहीं था। मेरे जांच प्रतिवेदन को स्वीकार करना एवं अस्वीकार करना श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, कहरा के क्षेत्राधिकार एवं विवेकाधिकार था। जिसके लिए मुझे किसी भी रूप में दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। फलतः मेरे विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पूर्णतः गलत है।
3. मेरे द्वारा किसी भी रूप में किसी भी कागजात एवं अभिलेख के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है तथा मेरे द्वारा कोई सारांश/अभिलेख छुपाया नहीं गया था बल्कि सूचक आवेदक श्री अनिल राम के सूचना मांग के अनुरूप ही खाता नं0 एवं खेसरा नं0 के साथ टेबुल सर्वे खेसरा पंजी के आधार पर वांछित जांच प्रतिवेदन अंचलाधिकारी महोदय को उपस्थापित किया गया था। जिसके लिए मुझे किसी भी रूप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। फलतः मेरे विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप विल्कुल ही गलत है।
4. मेरे इसी आरोप प्रकरण में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करके विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसमें समर्पित अंतिम संचालन प्रतिवेदन में मेरे विरूद्ध प्रतिवेदित इन आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है, इसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। फलतः मेरे विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप गलत है।
5. श्रीमान के आदेशानुसार अपर समाहर्त्ता के पत्रांक 112–2 दिनांक 23.02.2017 को प्रतिवेदित प्रतिवेदन में भी मेरे विरूद्ध प्रतिवेदित इन आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है। जिसकी छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है।
6. वास्तव में भी मेरे विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप निर्मूल एवं गलत है क्योकि मेरे द्वारा न तो कोई सूचना किन्ही को उपलब्ध कराई गई थी न ही किसी जाँच प्रतिवेदन में किसी भी अभिलेख में छेड़छाड़ करते हुए किसी भी साक्ष्य को नहीं छुपाया गया है। ऐसी स्थिति में मैं इस आरोप प्रकरण में पूर्णतः निर्दोष एवं बेकसूर हूँ जिससे मैं इस आरोप प्रकरण में आरोपमुक्त एवं दोषमुक्त होने के लिए सर्वथा उपयुक्त हूँ।

श्री रंजन कुमार रंजन का दिनांक 27.02.2018 एवं 05.03.2018 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में वही साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो उनके द्वारा दिनांक 16.09.2017 को समर्पित किया गया।

<u>निष्कर्ष</u> :– आरोपी श्री रंजन कुमार रंजन, निलंबित राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन अंचल कार्यालय, कहरा, सम्प्रति अंचल कार्यालय, सलखुआ मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर के विरूद्ध ''प्रपत्र–क'' में गठित आरोप, उपस्थापन पदाधिकारी के मन्तव्य, आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा एवं द्वितीय कारण–पृच्छा तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर –सह– संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 1629–2 दिनांक 16.11.2017 में समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री रंजन कुमार रंजन पर लगाये गये आरोप संख्या 02, 03, 04 एवं 05 प्रमाणित होते हैं, जो कि गंभीर प्रकृति के आरोप हैं।

इस प्रकार श्री रंजन कुमार रंजन, निलंबित राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन अंचल कार्यालय, कहरा, सम्प्रति अंचल कार्यालय, सलखुआ मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर का उक्त आचरण सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2005 एवं संशोधित में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे भ्रष्ट एवं अनुशासनहीन सरकारी सेवक

को सेवा में बने रहने देने से इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है। फलस्वरूप श्री रंजन को बर्खास्तगी से कम की सजा दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (अद्यतन संशोधित) नियम 14 (IX) एवं 14(X) (संशोधित) के आलोक में मैं विनोद सिंह गुंजियाल, (भा०प्र०से०) समाहर्त्ता–सह– जिलाधिकारी, सहरसा श्री रंजन कुमार रंजन, निलंबित राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन अंचल कार्यालय, कहरा, सम्प्रति अंचल कार्यालय, सलखुआ मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर को आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ।

श्री रंजन कुमार रंजन से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

1. नाम	:–	श्री रंजन कुमार रंजन
2. पदनाम	:–	राजस्व कर्मचारी
3. पिता का नाम	:–	स्व० बनारसी रजक
4. जन्म तिथि	:–	11-02-1968
5. नियुक्ति की तिथि	:–	04-11-1991
6. सेवानिवृत्त की तिथि	:–	28-02-2028
7. वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन	:–	9300-34800/4200
8. स्थाई पता	:–	ग्राम–दौरमा, पोस्ट– बिहरा, भाया– पंचगछिया जिला– सहरसा।
9. वर्त्तमान पता	:–	मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर

ह०/–
जिलाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 35-43/2009-II 332 /स्था० सहरसा, दिनांक 05/03/2018 ई०।

प्रतिलिपिः– श्री रंजन कुमार रंजन, निलंबित राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन अंचल कार्यालय, कहरा, सम्प्रति अंचल कार्यालय, सलखुआ मुख्यालय अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि आरोपी कर्मी को आदेश की प्रति हस्तगत कराते हुए तामिला प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, सलखुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि आरोपी कर्मी के सेवापुस्त में आदेश की प्रविष्टि लाल स्याही से करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, (जिला गजट प्रशाखा) सहरसा को जिला गजट में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, सहरसा/उप विकास आयुक्त, सहरसा/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाहर्त्ता के गोपनीय शाखा, सहरसा/अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सहरसा/प्रभारी पदाधिकारी, लोकायुक्त कार्यालय, सहरसा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा/आई०टी० मैनेजर, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राज्य गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
सहरसा।